

२५/१/१७ पत्रावली केस्य कोर्ट। न्याय माणवे द्वार में
प्रस्तुत हुई। वादी एवं प्रतिवादी कां ① ② ③ प्रस्थित।
प्रार्थना पत्र स्वीकार। पत्परगाही के कादेश दिये जाते हैं।
पत्रावली डैसल शुमार होकर नंबर से इम हो।

उपस्थान अधिकारी
धीलवादा

(प्रति १०२) शान्ति
X
जिस. ०१ (मुद्रेशभा)

मुद्रेशभा
(नाम)
शान्ति
(प्रति १०३)

बनाम

1. मुकेश पिता रामकुंवार महाजन, निवासी भोपालगढ तहसील व जिला भीलवाडा।
2. रामकिशन पिता मोहन लाल महाजन, निवासी भोपालगढ तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्यामलाल पिता मोहन लाल महाजन, निवासी भोपालगढ तहसील व जिला भीलवाडा।
4. नानी बाई बेवा मोहन लाल महाजन, निवासी भोपालगढ तहसील व जिला भीलवाडा।
5. मंजु पुत्री रामकुंवार महाजन, निवासी भोपालगढ तहसील व जिला भीलवाडा।
6. सुनिता पुत्री रामकुंवार महाजन, निवासी भोपालगढ तहसील व जिला भीलवाडा।
7. चन्दा देवी बेवा रामकुंवार महाजन, निवासी भोपालगढ तहसील व जिला भीलवाडा।
8. भंवर लाल आत्मज रामपाल ढोली, निवासी भोपालगढ तहसील व जिला भीलवाडा।
9. गिरधारी लाल आत्मज रामपाल ढोली, निवासी भोपालगढ तहसील व जिला भीलवाडा।
10. डालचन्द शर्मा, निवासी दुडिया तहसील व जिला भीलवाडा।
11. भैरू लाल आत्मज रामचन्द्र शर्मा, निवासी दुडिया तहसील व जिला भीलवाडा।
12. चतुर्भुज आत्मज देबीलाल गुर्जर, निवासी गाडरमाला तहसील व जिला भीलवाडा।
13. भंवर लाल आत्मज मोहन लाल नाई, निवासी गाडरमाला तहसील व जिला भीलवाडा।
14. चम्पा लाल आत्मज नन्दा कीर, निवासी गाडरमाला तहसील व जिला भीलवाडा।
15. देबीलाल आत्मज नन्दलाल कीर, निवासी गाडरमाला तहसील व जिला भीलवाडा।
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राज.अधि., 1956

निर्णय

दिनांक 25.05.2017

प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. भू-राज.अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 15.05.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भोपालगढ, पटवार भोपालगढ, तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 623 में स्थित आराजी संख्या 1769 रकबा 00-05 बीघा, आराजी संख्या 1775 रकबा 00-05 बीघा, कुल किता 02 कुल रकबा 00-10 बीघा कृषि भूमि, खाता संख्या 622 में स्थित आराजी संख्या 1764 रकबा 00-11 बीघा, आराजी संख्या 1765 रकबा 00-18 बीघा, आराजी संख्या 1774 रकबा 01-02 बीघा, कुल किता 03 कुल रकबा 02-11 बीघा कृषि भूमि, खाता संख्या 625 में स्थित आराजी संख्या 1757 रकबा 01-16 बीघा, आराजी संख्या 1758 रकबा 00-06 बीघा, आराजी संख्या 1760 रकबा 00-04 बीघा, आराजी संख्या 1761 रकबा 02-06 बीघा, आराजी संख्या 1762 रकबा 00-13 बीघा, आराजी संख्या 1763 रकबा 00-15 बीघा, आराजी संख्या 1766 रकबा 01-13 बीघा, आराजी संख्या 1767 रकबा 00-19 बीघा, आराजी संख्या 1768 रकबा 00-07 बीघा, आराजी संख्या 1770 रकबा 00-08 बीघा, आराजी संख्या 1771 रकबा 00-14 बीघा, आराजी संख्या 1772 रकबा 00-06 बीघा, आराजी संख्या 1773 रकबा 01-07 बीघा, आराजी संख्या 1777 रकबा 01-19 बीघा, आराजी संख्या 1778 रकबा 00-03 बीघा, आराजी संख्या 1779 रकबा 00-07 बीघा, आराजी संख्या 1887 रकबा 00-15 बीघा, आराजी संख्या 1888 रकबा 00-16 बीघा, कुल किता 18 कुल रकबा 15-14 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित, बहस सुनी गई। विपक्षीगण संख्या 01, 02 व 03 उपस्थित। विपक्षीगण संख्या 04 से लगातय 15 उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी है। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से निःसंदेह है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख में किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किए जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम भोपालगढ, पटवार भोपालगढ, तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 623 में स्थित आराजी संख्या 1769 रकबा 00-05 बीघा, आराजी संख्या 1775 रकबा 00-05 बीघा, कुल कित्ता 02 कुल रकबा 00-10 बीघा कृषि भूमि, खाता संख्या 622 में स्थित आराजी संख्या 1764 रकबा 00-11 बीघा, आराजी संख्या 1765 रकबा 00-18 बीघा, आराजी संख्या 1774 रकबा 01-02 बीघा, कुल कित्ता 03 कुल रकबा 02-11 बीघा कृषि भूमि, खाता संख्या 625 में स्थित आराजी संख्या 1757 रकबा 01-16 बीघा, आराजी संख्या 1758 रकबा 00-06 बीघा, आराजी संख्या 1760 रकबा 00-04 बीघा, आराजी संख्या 1761 रकबा 02-06 बीघा, आराजी संख्या 1762 रकबा 00-13 बीघा, आराजी संख्या 1763 रकबा 00-15 बीघा, आराजी संख्या 1766 रकबा 01-13 बीघा, आराजी संख्या 1767 रकबा 00-19 बीघा, आराजी संख्या 1768 रकबा 00-07 बीघा, आराजी संख्या 1770 रकबा 00-08 बीघा, आराजी संख्या 1771 रकबा 00-14 बीघा, आराजी संख्या 1772 रकबा 00-06 बीघा, आराजी संख्या 1773 रकबा 01-07 बीघा, आराजी संख्या 1777 रकबा 01-19 बीघा, आराजी संख्या 1778 रकबा 00-03 बीघा, आराजी संख्या 1779 रकबा 00-07 बीघा, आराजी संख्या 1887 रकबा 00-15 बीघा, आराजी संख्या 1888 रकबा 00-16 बीघा, कुल कित्ता 18 कुल रकबा 15-14 बीघा कृषि भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभय पक्षकारान की उपस्थिति में करा देंगे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा में 1900/- अक्षरे उन्नीस सौ रुपये बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष मे जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/- रुपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 25.05.2017 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फौसल शुमार की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

(राजलक्ष्मी गहलोत)

उपखण्ड अधिकारी एवं
बंदीन सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर, भीलवाडा
भीलवाडा